भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 663
03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

एनएसएसओ तक सार्वजनिक पहुंच

663. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसंधान उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) इकाई-स्तरीय सर्वेक्षण आकड़े तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई नई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार माइक्रोडेटा तक सार्वजनिक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हुए डेटा सुरक्षा और गोपनीयता किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने उन्नत डाटा विश्लेषण में राज्य सांख्यिकी कार्मिकों के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) की प्रतिक्रिया दर और डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के इकाई-स्तरीय डेटा को मेटाडेटा के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से सुलभ है। सर्वेक्षणों से इकाई स्तरीय डेटा का प्रसार करते समय, उपयोगकर्ताओं द्वारा संकेतक तैयार करने के लिए इकाई स्तरीय डेटा का उपयोग करने के तरीके पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए जाते हैं। तथापि, इकाई स्तरीय डेटा को प्रसारित करते समय डेटा डाउनलोड को आसान बनाने के लिए एक डेटा एक्ट्रकशन टूल उपलब्ध कराया जाता है, जो इकाई स्तरीय डेटा को प्रयोग करने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने में सहायक है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अधिक लचीले और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रारूप में डेटा प्रदान करके शोधकर्ताओं तथा विश्लेषकों के लिए आसान डेटा हैंडलिंग, विश्लेषण और पहुंच की सुविधा मिलती है। सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, ताकि सर्वेक्षण डेटा की समझ बढ़ाई जा सके और

हितधारकों के लिए डेटा तक पहुंच तथा कार्यप्रणाली से संबंधित किसी भी अस्पष्टता का समाधान किया जा सके।

(ख) : पहुंच को सुगम बनाते हुए गोपनीयता और निजता की सुरक्षा के लिए, प्रकटीकरण जोखिमों से बचने के लिए माइक्रोडेटा या इकाई-स्तरीय डेटा अनामीकरण सहित सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। एनएसएस सर्वेक्षणों में, डेटा संग्रहण के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) सॉफ्टवेयर यह सुनिश्चित करता है कि सभी डेटा प्रसारण एन्क्रिप्टेड मोड में हो, जिससे सुरक्षित क्लाउड-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्षेत्रीय कार्यों के दौरान गुप्त सूचना सुरक्षित रहे।

(ग) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य प्रतिदर्श के लिए एनएसएस सर्वेक्षण से संबंधित राज्य सांख्यिकीय कार्मिकों हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें सर्वेक्षण संचालन, सीएपीआई सॉफ्टवेयर का उपयोग, तथा केंद्रीय डेटा संग्रहण प्रोटोकॉल के साथ संरेखित क्लाउड-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रबंधन शामिल होता है। राज्य अधिकारियों की योग्यता बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण-पश्चात सारणीकरण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं तथा आवश्यकतानुसार भाग लेने वाले राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सीडी योजना के अंतर्गत 'सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस)' उप-योजना के माध्यम से विश्वसनीय आधिकारिक सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन और प्रसार के लिए राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन को बेहतर/सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2010 से दिनांक 27 नवंबर 2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 364.69 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं [ईएफसी 2021-26 (दिनांक 27-11-2025 तक) के दौरान 42.01 करोड़ रुपये], जिसमें कुल 9 घटकों में से एक घटक 'क्षमता निर्माण' भी शामिल है।

(घ) : वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) में डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, डेटा को कागजी अनुसूचियों के बजाय उपयोगकर्ता के अनुकूल एएसआई वेब पोर्टल के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जिसमें एएसआई में डेटा प्रसंस्करण के समय मैक्रो और माइक्रो स्तर के डेटा जांच के साथ-साथ डेटा संकलन चरण के दौरान डेटा त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए सत्यापन जांच शामिल है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विभिन्न व्यापार/उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के लिए एएसआई पर गोलमेज सम्मेलनों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें इस सर्वेक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना तथा उनके सहयोग में सुधार लाना है, जिससे प्रतिक्रिया दर में सुधार हो सके। डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, बहुस्तरीय सत्यापन जांच की जाती है। एएसआई इकाइयों को एएसआई अनुसूची के स्व-संकलन के लिए संवेदनशील बनाने हेतु एएसआई शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डेटा की गुणवत्ता में और सुधार के लिए जांच, निरीक्षण और नियमित प्रशिक्षण भी किया जा रहा है।

*****